

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

पाधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 347] नई दिल्ली, सोमवार, मई 16, 2016/वैशाख 26, **1938** No. 347]

NEW DELHI, MONDAY, MAY 16, 2016/VAISAKHA 26, 1938

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 मई, 2016

सा.का.नि.521(अ).— केंद्रीय सरकार, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 162 की उपधारा (1) तथा धारा 176 की उपधारा (2) के खंड (य) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मुख्य विद्युत निरीक्षक और विद्युत निरीक्षकों की अर्हताएं, शक्तियाँ और कृत्य नियम, 2006 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात:-

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मुख्य विद्युत निरीक्षक और विद्युत निरीक्षकों की अर्हताएं, शक्तियाँ और कृत्य (संशोधन) नियम,
 - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को लागू होंगे।
- मुख्य विद्युत निरीक्षक और विद्युत निरीक्षकों की अर्हताएं, शक्तियाँ और कृत्य नियम, 2006 के नियम 5 में उपनियम (1) के खंड (ख) में "कम से कम दस वर्ष" शब्दों के स्थान पर "कम से कम पाँच वर्ष" शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं. 23/3/2004-आर एंड आर (खंड-II)] ज्योति अरोरा, संयुक्त सचिव

टिप्पणी: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II खंड-3, उप-खंड (i) में सा.का.नि.सं. 481(अ), तारीख 17 अगस्त, 2006 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

2469 GI/2016 (1)

MINISTRY OF POWER NOTIFICATION

New Delhi, the 16th May, 2016

- **G.S.R. 521** (E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 162 and clause (z) of sub-section (2) of section 176 of the Electricity Act, 2003, (36 of 2003), the Central Government hereby makes the following amendments to the Qualifications, Powers and Functions of Chief Electrical Inspector and Electrical Inspectors Rules, 2006, namely:-
- 1. (1) These rules may be called the Qualifications, Powers and Functions of Chief Electrical Inspector and Electrical Inspectors (Amendment) Rules, 2016.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Qualifications, Powers and Functions of Chief Electrical Inspector and Electrical Inspectors Rules, 2006, in rule 5, in sub rule (1), in clause (b), for the words "at least ten years", the words "at least five years" shall be substituted.

[F.No. 23/3/2004-R&R (Vol-II)] JYOTI ARORA, Jt. Secy.

Note:.— The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Subsection (i) *vide* number G.S.R 481(E), dated the 17th August, 2006.